भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5289

दिनांक 04.04.2022 को उत्तर के लिए

रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना को पर्यावरण मंजूरी

5289. कुमारी गोड्डेति माधवी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए पर्यावरण मंजूरी का अनुरोध करने वाला पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार प्रस्तावित रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए पर्यावरण मंजूरी जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री से दिनांक 7, जनवरी, 2021 के पत्र संख्या 01/सीएम-अपर सचिव/2021, दिनांक 10 जून 2021 के पत्र संख्या 36/सीएम-अपर सचिव/2021 और दिनांक 5 जुलाई, 2021 के पत्र संख्या 44/सीएम-अपर सचिव/2021 के तहत पत्र प्राप्त किए हैं और मंत्रालय ने दिनांक 11 फरवरी, 2021 के पत्र संख्या- जे-11013/33/2020-आईए-आई (आर) और दिनांक 14 अक्तूबर, 2021 के पत्र संख्या जेड-11012/06/2021-आईए.आई(आर) के तहत आंध्र प्रदेश में रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना को पर्यावरण मंजूरी से संबंधित उचित सलाह/सूचना प्रदान करते हुए उक्त पत्रों का उत्तर दिया था।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006, यथा संशोधित, के प्रावधानों के तहत रायलसीमा परियोजना प्राधिकारियों ने मौजूदा पर्यावरण मंजूरी में संशोधन की मांग करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा, अपनी 16-17 जून, 2021 और 7 जुलाई, 2021 को आयोजित बैठकों में ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के तहत पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान करने के लिए नदी घाटी और जल-विद्युत परियोजनाओं पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पर विचार किया गया है। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्, ईएसी ने प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए परियोजना प्रस्तावक से निम्नलिखित जानकारी मांगी :

i. जल विद्युत परियोजनाओं सहित मौजूदा और भविष्य की योजनाओं के साथ, नदी में जल उपलब्धता पर एक समग्र रिपोर्ट उपलब्ध करानी चाहिए जैसा कि नदी विकास के लिए अनुमोदित मास्टर प्लान में परिकल्पित किया गया है।
ii. परियोजना के पूर्व और बाद जलाशय से जल की निकासी का अस्थायी अनुकरण दिखाने वाला एक अध्ययन।
iii. क्षेत्र/पड़ोसी राज्यों में अन्य समान जल लिफ्टिंग परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरणीय मंजूरी की स्थिति के साथ, ऐसी परियोजनाओं की विस्तृत स्थिति।
iv. परियोजना के निर्माण के बाद जलाशय में कम जल स्तर से प्रभावित होने की संभावना वाले किसी भी वन्यजीव अभयारण्य, आरक्षित वन क्षेत्र और अन्य पारिस्थितिकी पर्यावासों का स्थान।

ईएसी द्वारा मांगी गई उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा अभी तक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

*****